रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2014/वैशाख 5, 1936
No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2014/VAISAKHA 5, 1936

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)**

**(विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

**सं. 002/2014/मिसिल सं. एस आर/एस 9/जेड-08/2011.**—विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के प्रशासनिक और गैर–तकनीकी समूह 'क' तथा समूह 'ख' की अर्हताओं, सेवा के निबंधों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (प्रशासनिक और गैर-तकनीकी समूह 'क' तथा समूह 'ख' पदों की सेवाओं में भर्ती, वेतन और अन्य निबंध तथा शर्तें) विनियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(i) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) अधिनियम से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(घ) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और पद प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 में परिभाषित हैं उनका वही अर्थ होगा जो इन विनियमों में है।



1766 GI/2014

**3. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन.**—बोर्ड के प्रशासनिक और गैर–तकनीकी समूह 'क' तथा समूह 'ख' के पदों के कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग, उनकी संख्या, भर्ती की पद्धति और वेतन वह होगा जो इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट है।

**4. सेवा के वेतन, भत्ते और शर्तें.**—वेतन, भत्तों, छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति की आयु, चिकित्सा सुविधाओं और सेवा की अन्य दशाओं के संबंध में बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सेवा की शर्तों को, केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों और समान ग्रेड में आय आहरित करने वालों के लिए मान्य इस प्रकार के विनियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

**5. वेतन नियतन (प्रोन्नति).**—प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन और अन्य भत्तों का अवधारण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रोन्नति पर नियुक्त स्टाफ पर केन्द्र सरकार के संगत स्तर के लिए मान्य नई पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

**6. शासकीय विदेश दौरा.**—बोर्ड के अधिकारियों द्वारा शासकीय विदेश दौरे सचिव के अनुमोदन से सम्पन्न किये जाएंगे और समय–समय केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

**7. परिवीक्षा.**—(1) प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए परिवीक्षा की अवधि अनुबद्ध की जा सकती है। (2) यदि इस प्रकार की परिवीक्षा की अवधि अनुबद्ध है तो नए भर्ती किए गए व्यक्ति को उसके द्वारा परिवीक्षा की अवधि के पूरा करने और इस अवधि के दौरान उसके आचरण को प्राधिकारी द्वारा समाधानप्रद पाए जाने के बाद ही पुष्टिकृत किया जाएगा। (3) परिवीक्षा की अवधि में किसी कर्मचारी के आचरण के संतोषजनक न पाए जाने पर, प्राधिकारी के स्वविवेक से, इस अवधि को सुधार का अवसर देते हुए बढ़ाया जा सकता है। (4) यदि परिवीक्षा की अवधि या बढ़ी हुई, अवधि के समापन पर किसी कर्मचारी की सेवा और आचरण संतोषप्रद नहीं पाए जाते हैं तो उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

**8. राष्ट्रीयता.**—अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अत्यावश्यक है अथवा उसे व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों से संबंधित होना चाहिए जिसे सरकार समय–समय पर अधिसूचित करें।

**9. अधिवर्षिता.**—अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष की आयु प्राप्ति होगी।

**10. निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य विधिमान्य अधीमार है तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

**11. चिकित्सीय मानकों के प्रयोजनों के लिए पदों का वर्गीकरण.**—इन विनियमों के अधीन सभी पद भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के लिए चिकित्सा विनियमों और चिकित्सा रिपोर्टों में निर्दिष्टानुसार चिकित्सीय मानकों के प्रयोजन के लिए गैर–तकनीकी पद समझे जाएंगे।

**12. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इस विनियम के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर पायेगा।

**13. निर्वचन.**—यदि इस विनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसका विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

**14. कठिनाईयों का हटाया जाना.**—बोर्ड इस विनियम के किसी भी उपबंध के प्रचालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निवारण के लिए यथावश्यकता समय–समय पर साधारण अथवा विशेष निदेश जारी कर सकता है।

**15. वे मामले जिनके बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है.**—बोर्ड के अधिकारियों के सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं है, को केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा।

**16. चिकित्सा सुविधा.**—बोर्ड के अधिकारी अनुसूची I में यथा-विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के पात्र होंगे।

**17. सेवानिवृत्ति फायदे.**—1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सभी अधिकारी समय–समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू नयी पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे।

## अनुसूची - I

1. **बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय.**—(1) अधिकारी स्वयं और कुटुम्ब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "कुटुम्ब" शब्द की अभिव्यक्ति का अर्थ वही है जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियम, 1944 में दिया गया है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय अथवा वर्ष की 1 जनवरी को एक माह का वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) जो भी कम हो तक सीमित होगी। (3) दवा डॉक्टर के नुस्खे और मूल कैश मेमो अथवा डाक्टर द्वारा इलाज के बिल और दवाइयों की खरीद द्वारा निर्धारित होंगी और वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि अथवा प्रोन्नति 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार निर्धारित सीमा को प्रभावित नहीं करेगी। (4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के लिए वार्षिक हकदारी यथानुपात आधार पर निबंधित होगी। (5) बाह्य रोगी इलाज बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले पेनल से पैनलीकृत प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से कराया जाएगा। (6) चिरकालिक बीमारी के मामले में केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर नियम (सी एस एम ए) अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) से कवर अस्पताल द्वारा नुस्खे दवाइयों की कीमत की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य होंगे। (7) लागत सघन उपचार के प्रयोजन के लिए मामला – दर – मामला आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर की दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। (8) आपात स्थिति में, कर्मचारी अपने निकटतम अस्पताल से इलाज करवा सकता है और अस्पताल प्राधिकारियों से आपातकालीन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2. **अंतरंग उपचार:—**

(1) अंतरंग उपचार के प्रयोजन के लिए बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में इलाज कराने के हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल में भर्ती रहने, नर्सिंग होम की सुविधा इत्यादि सहित चिकित्सा संबंधी व्यय केन्द्रीय सरकार कर्मचारी द्वारा आहरित समकक्ष वेतन के संबंध में लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होंगे।

(2) उपर्युक्त खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वहीं होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

(3) आपात स्थिति को छोड़कर, प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों के परामर्श पर प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार करवाया जा सकता है।

## अनुसूची 2

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान | चयन पद है अथवा-अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. निदेशक | 1*(2014)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड –4, 37,400 – 67,000 रु.,<br>ग्रेड वेतन 8700 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि है | **भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति/आमेलन/अल्पकालिक संविदा द्वारा |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|
| (11) |
| केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी –<br>(क) (i) जो नियमित आधार पर मूल कैडर अथवा विभाग में समतुल्य पद धारण कर रहे हैं; अथवा<br>(ii) जो नियुक्ति के बाद प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर अर्थात् वेतन बैंड–3, 15600 – 39100 रु. में 7600 रु. के ग्रेड वेतन अथवा समतुल्य में पाँच वर्ष की सेवा कर चुके हों।<br>(ख) कार्मिक और साधारण प्रशासन में पर्याप्त अनुभव रखता हो।<br>**टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं हो।<br>**टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार है, को नियमित आधार पर, कथित वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संगत ग्रेड वेतन अथवा वर्धित वेतनमान में सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व – संशोधित वेतनमान एक साधारण ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में मिला दिए गए हों और जहां इसका फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए हो जिनके लिए ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:—**<br>1. अध्यक्ष, विज्ञान और इंजीनियरी बोर्ड —अध्यक्ष<br>2. सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी बोर्ड —सदस्य<br>3. वैज्ञानिक जी/एच (अध्यक्ष एस ई आर बी द्वारा नामित) —सदस्य | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. अवर सचिव | 1* (2014)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 3, 15,600 – 39,000 रु. ग्रेड वेतन 6600 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ अल्पकालिक संविदा द्वारा |

| (11) |
|---|
| <u>प्रोन्नति:</u><br>ऐसा अनुभाग अधिकारी जिसने विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड में वेतन बैंड – 2, 9300 – 34,800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो।<br>**टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा |

हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण की हो अपनी उच्चतर श्रेणी के लिए परिवीक्षा अवधि पूरी की हो ।

**टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार है, को नियमित आधार पर कथित वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन अथवा वर्धित वेतनमान में सेवा मानी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति:**

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जो

(क)(i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर अपना पद धारण कर रहें है;

(ii) नियुक्ति के बाद प्राप्त ग्रेड, अर्थात् वेतन बैंड – 3, 15600 – 39100 रु. में 5400 रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों अथवा समतुल्य।

(iii) नियुक्ति के बाद प्राप्त ग्रेड, अर्थात् वेतन बैंड – 2, 9300 - 34,800 रु. में 4800 रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा कर चुके हों अथवा समतुल्य।

(iv) नियुक्ति के बाद प्राप्त ग्रेड, अर्थात वेतन बैंड – 2, 9300 – 34,800 रु. में 4600 रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर सात वर्ष की सेवा कर चुके हों अथवा समतुल्य।

(v) नियुक्ति के बाद प्राप्त ग्रेड, अर्थात्, वेतन बैंड – 2, 9300 – 34,800 रु. में 4200 रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा कर चुके हों अथवा समतुल्य।

**टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है तो वह साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3**: आमेलन आधार पर नियुक्ति में प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले की गई, सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार है, को नियमित कथित वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन अथवा वर्धित वेतनमान में सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व – पुनरीक्षित वेतनमान एक सामान्य ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में मिला दिए गए हों और जहां इसका फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए हो जिनके लिए ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—**<br>1. सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड —अध्यक्ष<br>2. वैज्ञानिक 'जी', विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड —सदस्य<br>3. निदेशक, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड —सदस्य | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. अनुभाग अधिकारी | 1*(2014)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड–2, 9300 – 34,800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति/आमेलन/अल्पकालिक संविदा द्वारा |

| (11) |
|---|
| **प्रतिनियुक्ति:**<br>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्धसरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारी जो<br>(क)(i) जो नियमित आधार पर मूल कैडर अथवा विभाग में समकक्ष पदधारण कर रहा हो; अथवा |

(ii) नियुक्ति के बाद प्राप्त ग्रेड में नियमित आधार पर अर्थात् वेतन बैंड–1, 5200 – 20,200 रु. में 2800 रु. के ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष में छह वर्ष सेवा कर चुका हो।

**टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है जो साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार है, को नियमित आधार पर, कथित वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन अथवा वर्धित वेतनमान में सेवा मानी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान एक साधारण ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में मिला दिए गए हों और जहां इसका फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए हो जिनके लिए ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो।

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—**<br>1. सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड - अध्यक्ष<br>2. निदेशक, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड – सदस्य<br>3. अवर सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड – सदस्य | लागू नहीं होता । |

मधु वधावन सिन्हा, निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./191-I/14]

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

### (Department of Science and Technology)

### (Science and Engineering Research Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

**No. 002/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011**– In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 read with Section 21 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), the Science and Engineering Research Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, regulating the qualifications, terms and conditions of service of the Administrative and Non-Technical Group 'A' and Group 'B' posts of Science and Engineering Research Board, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group 'A' and Group 'B' Posts Administrative and Non-Technical) Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**–(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(a) 'Act' means the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(c) 'Schedule' means the Schedule appended to these regulations;

(d) "Secretary" means the Secretary of the Board;

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations and defined in the Science and Engineering Research Board Act, 2008 shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

**3. Recruitment and salary of the officers and other employees of the Science and Engineering Research Board.**–The nature and categories of Administrative and Non-Technical Group 'A' and Group 'B' posts employees of the Board, their number, method of recruitment and salary shall be as specified in Schedule II to these regulations.

**4. Pay, allowances and conditions of service.**–The conditions of service of the officers and other employees of the Board in the matter of pay, allowances, leave, joining time, provident fund, age of superannuation, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with the provisions of such rules as are applicable to officers of the Central Government belonging to Group 'A' and Group 'B', as the case may be, and drawing salary in equivalent grades.

**5. Pay fixation (Promotions).**–The determination of pay and other allowances for the persons appointed through promotion will be as per the Central Government rules. The provisions of Pension Scheme as applicable to Central Government servants of corresponding level shall apply to the staff appointed on promotion.

**6. Official visits abroad.**–Official visits abroad by the Officers of the Board shall be undertaken with the approval of the Secretary and shall be regulated as per the guidelines or instructions issued by the Central Government from time to time.

**7. Probation.**–(1) A period of probation may be stipulated for candidates appointed through direct recruitment process. (2) If any probation period is stipulated, a fresh recruit will be confirmed only after he has completed the period of probation and during the period his services and conduct have been found by the Board to be satisfactory. (3) In the event that the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory, in the probation period, at the discretion of the Authority, the period may be extended to provide the employee an opportunity to improve. (4) If the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory at the end of the probation period or extended probation period, his services may be terminated.

**8. Nationality.**–A candidate must be a citizen of India or he must belong to such categories of persons as may from time to time be notified by the Government.

**9. Superannuation**.–The age of superannuation would be on attaining the age of 60 years.

**10. Disqualification.**–No person. -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other valid grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

**11. Classification of posts for the purposes of medical standards.**–All posts under these regulations shall be deemed to be non-technical posts for purposes of medical standards as specified in the medical regulations and medical report for the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and the Central Services.

**12. Power to relax.**–Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this regulation with respect to any class or category of persons.

**13. Interpretation.**– If any queries relating to implementation of this regulation arise, they shall be decided by the Board.

**14. Removal of difficulties.**–The Board may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of this regulation.

**15. Matters with respect to which no provision has been made.**–The matters relating to the conditions of service of the officers of the Board, with respect to which no provision has been made in these regulations, shall be referred to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government in matters so referred shall be final.

**16. Medical facility.**–The officers of the Board shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule I.

**17. Retirement Benefits .**–All officers appointed on or after the 1st January, 2004 shall be governed by the New Pension Scheme applicable to the officers of the Central Government as amended from time to time.

## SCHEDULE-I

1. **Outdoor Medical expenses.**–(1) The officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

**Explanation:** For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st January of the year (Basic Pay + Dearness Allowance) whichever is less.

(3) The claim shall be supported by doctors prescription and the original cash memos or bills for treatment by the doctor and purchase of medicines and release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st January.

(4) For officers joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants empanelled from the panel to be maintained by the Board.

(6) In case of chronic ailments prescription from Central Service Medical Attendance Rules (CSMA) or Central Government Health Scheme (CGHS) covered hospital shall be admissible with reference to reimbursement of cost of medicines.

(7) For the purpose of cost intensive treatments, the reimbursement shall be made as per the Central Government Health Scheme or Central Services Medical Attendants rates with the approval of the Board on a case to case basis.

(8) In case of emergency the employee may take treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates prescribed for Central Government Health Scheme beneficiaries subject to production of emergency certificate from the hospital authorities.

**2. Indoor treatment.–**

(1) For the purpose of indoor treatment the officers of the Board shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Board in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

(2) The authorised hospitals for the purpose of Clause (1) above shall be the same available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorized Medical attendants except in emergency.

**SCHEDULE-II**

| Name of Post | Number of posts | Classification | Pay band and grade pay or pay scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Director | 1 *(2014)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial | Pay band -4, Rs. 37,400 – 67,000 with grade pay of Rs. 8700 | Not applicable | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | **Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By deputation/ absorption /short term contract |

| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which the promotion or deputation/absorption to be made |
|---|
| (11) |
| Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous organisation.<br>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-3, Rs. 15600 – 39,100 with grade pay of Rs. 7600 or equivalent.<br>(b) possessing adequate experience in personnel and general administration.<br>**Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.<br>**Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.<br>**Note 3:** For the purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade |

pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| Group 'A' Departmental Promotion Committee (For confirmation) consisting of :—<br>(1) Chairperson (SERB) – Chairman<br>(2) Secretary, SERB – Member<br>(3) Scientist G/H (nominated by Chairman, SERB) – Member | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Under Secretary | 1 *(2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service,<br>Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial. | Pay band -3, Rs. 15,600 – 39,100 with grade pay of Rs. 6600. | Not applicable | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion failing which by deputation/ absorption/ short term contract |

(11)

**Promotion:**

Section Officer in the pay band -2, of Rs. 9300 – 34,800 with grade pay of Rs. 4200 with ten years' regular service in the Science and Engineering Recruitment Board.

**Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Deputation:**

Officers of the Central Government State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous organisation.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the basis in the parent cadre or department;

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs. 15600 – 39,100 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent.

(iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -2, Rs. 9300 – 34,800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent.

(iv) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -2,

1766 GI/14-3

Rs. 9300 – 34,800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent.

(v) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300 – 34,800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent.

**Note 1**: The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

**Note 3**: For the purposes of appointment or deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :—**<br>1. Secretary, Science and Engineering Board - Chairman<br>2. Scientist 'G' Science and Engineering Board - Member<br>3. Director, Science and Engineering Board - Member | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Section Officer | 2 *(2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service,<br>Group 'B' Gazetted,<br>Non- Ministerial. | Pay band -2, Rs. 9,300 – 34,800 with grade pay of Rs. 4200. | Not applicable | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By deputation/ absorption/ short term contract |

(11)

**Deputation:**

Officers of the Central Government State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous organisation.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years' regular service in the in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -1, Rs. 5200 – 20,200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent.

**Note 1**: The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years or superannuation whichever is earlier.

**Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

**Note 3**: For the purposes of appointment or deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an